न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, जौनपुर।
उपस्थिति–रूपाली सक्सेना (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. No.–UP1524)
CNR No.UPJP010002062005

Presented on : 18–01–2005
Registered on : 31–05–2012
Decided on : 11–03–2026
Duration : 21 years, 01 months, 21 days

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–11/2005
पंजीयन संख्या–600011/2005
राज्य बनाम शेरू उर्फ सेराज अहमद

मु०अ०सं०–89/2004
धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986
थाना–सुरेरी, जिला जौनपुर।

दिनांक–11.03.2026

1. पत्रावली वर्ष 2005 से लम्बित है। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त शेरू उर्फ सेराज अहमद उपस्थित नहीं है। राज्य की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) उपस्थित है।

2. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त शेरू उर्फ सेराज अहमद के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम,1986 प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2005 को प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त द्वारा जमानत करायी गयी। दिनांक 04.04.2006 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर साक्ष्य की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। दिनांक 06.04.2012 से अभियुक्त गैर हाजिर है।

3. अभियुक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त की हाजिरी सुनिश्चित करने हेतु अभियुक्त के विरूद्ध सम्मन, जमानती वारण्ट, गैर जमानती वारण्ट, गवाहों के विरूद्ध नोटिस, अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 दं०प्र०सं०), अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 83 दं०प्र०सं०) आदि प्रपत्रों की आदेशिकाएं निर्गत की गयी, जिन पर सक्षम प्राधिकारियों के प्रमाण पत्र संलग्न होकर आख्याएं प्राप्त हुई।

4. पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित थाने की आख्या व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि माननीय न्यायालय से अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध जारी एन०बी०डब्लू० व धारा–83 सी.आर.पी.सी. के तमीला हेतु थाना भदोही से हमराही कर्मचारी अभियुक्त शेरू उर्फ सेराज उर्फ मिराज उपरोक्त के घर पहुंचा अभियुक्त के घर में ताला बन्द मिला। अगल–बगल के लोगों से अभियुक्त व अभियुक्त के परिजनों के विषय में पूछा गया तो बताये कि शेरू के माता–पिता और भाई की मृत्यु हो चुकी है। घर में काफी वर्षों से ताला बन्द है। यहां कोई रहता नहीं है। अभियुक्त के घर में ताला लगे होने और किसी परिजन के न मिलने के कारण धारा–83 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अभियुक्त का एन०बी०डब्लू० व 83 सी.आर.पी.सी. अदम तामीला वापस किया जा रहा है। नकल रपट संलग्न रिपोर्ट है।

5. अभियोजन की तरफ से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि विशेष सत्र परीक्षण उपरोक्त में अभियुक्त अभियुक्त शेरू उर्फ सेराज अहमद पुत्र मुख्तार अहमद, निवासी वार्ड नं०–07 अब्बास नगर महरहट्टा, सन्तरविदास नगर(भदोही) काफी दिनों से फरार चल रहा है, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एन०बी०डब्लू० व धारा–83 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही किया जा चुका है, परन्तु उसका कहीं कुछ पता नहीं चला, 83 सी.आर.पी.सी. की आख्यानुसार वह अपने निज निवास में ताला बन्द कर काफी दिनों से फरार है। पत्रावली काफी प्राचीन है। पत्रावली के गवाह भी नहीं मिल रहे हैं, जिससे तत्काल गवाही करायी जा सके। अभियुक्त के मिलने पर पत्रावली में गवाही कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही होना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि फरार अभियुक्त के मिलने पर गवाही की अनुमति प्रदान करते हुए विधिक कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

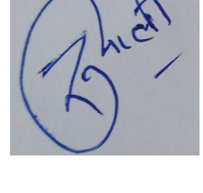

Digitally signed by
ROOPALI
SAXENA
Date: 2026.03.11
16:08:05 IST
Reason: Document
Owner
Location: District
and Sessions
Court, Jaunpur

6. अभियोजन द्वारा हे०का० धर्मेन्द्र कुमार (पैरोकार) को साक्षी संख्या–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, साक्षी ने सशपथ बयान किया कि–विशेष सत्र परीक्षण संख्या–11/2005 से सम्बन्धित समस्त साक्षियों के बाबत काफी तलाश किया गया, किन्तु प्रकरण काफी प्राचीन होने के कारण सम्बन्धित साक्षियों का पता नहीं चल पा रहा है। प्रकरण में अभियुक्त फरार हो चुका है। अभियुक्त का पता नहीं चल पा रहा है। भविष्य में अभियुक्त के मिलने पर साक्षियों को तलाश कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एन०बी०डब्लू०, धारा 82 दं०प्र०सं० उसके पश्चात धारा 83 दं०प्र०सं० की आदेशिका जारी की जा चुकी है, जिसके तामीला के पश्चात भी अभियुक्त का पता नहीं चला। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त फरार हो चुका है। न्यायालय के पूर्व आदेश से साक्षियों के विरूद्ध भी आदेशिकाएं प्राप्त हैं। प्रकरण के काफी पुराने होने के कारण साक्षी का पता नहीं चल पा रहा है। न्यायालय के आदेशानुसार साक्षियों को वरीयता से तलाश कर प्रस्तुत करने का प्रयास जारी है। भविष्य में यदि संबंधित थाने की पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो मामले के साक्षीगण को यथा संभव साक्ष्य हेतु न्यायालय में परीक्षित कराये जाने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

7. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त शेरू उर्फ सेराज अहमद के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 में प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 18.01.2005 को तत्कालीन विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया गया। अभियुक्त द्वारा जमानत करायी गयी। दिनांक 04.04.2006 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर साक्ष्य की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। दिनांक 06.04.2012 से अभियुक्त लगातार अनुपस्थित रहा। तत्कालीन विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त की हाजिरी हेतु आदेशिकाएं जारी की गयी। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु सम्मन, जमानती वारण्ट, गैर जमानती वारण्ट, जमानतदारों को नोटिस, धारा 82 व 83 दं०प्र०सं० की आदेशिकाएं जारी की गयी, किन्तु अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना से आख्या प्राप्त हुयी कि अभियुक्त कई वर्षों से अपने निज निवास में ताला बन्द कर लापता व फरार है। पत्रावली अति प्राचीन है। अभियुक्त के उपस्थित न आने के कारण उसके सम्बन्ध में धारा 299 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य 11.03.2026 की तिथि नियत की गयी, किन्तु अभियोजन द्वारा कोई भी साक्षी साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं किया गया। आज दिनांक 11.03.2026 को साक्षी हे०का० धर्मेन्द्र कुमार, थाना सुरेरी का बयान अंकित कराया गया। साथ ही अभियोजन द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गया। साक्षीगण को कई आदेशिकाएं पूर्व में जारी की गयी, लेकिन साक्षीगण के सम्बन्ध में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पायी है, इसलिए सम्बन्धित थाने के पैरोकार को बतौर साक्षी परीक्षित कराया जा रहा है। भविष्य में अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर शेष साक्ष्य करायी जाएगी।

9. अतः उपरोक्त कृत कार्यवाहियों की विवरण की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि प्रकरण लगभग 21 वर्ष पुराना है और पत्रावली अपार डीजे से सम्बन्धित प्राचीनतम पत्रावली है। अभियुक्त पत्रावली में दिये गये पते पर निवास नहीं कर रहा है, न ही उसके गिरफ्तार होने की सम्भावना है। ऐसे में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 299 दं०प्र०सं० की कार्यवाही संचालित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त अभियुक्त शेरू उर्फ सेराज अहमद उर्फ मिराज अहमद पुत्र स्व० मुख्तार अहमद, निवासी वार्ड नं०–07 अब्बास नगर महरहट्टा, थाना भदोही, जिला सन्तरविदास नगर (भदोही) के विरूद्ध धारा 299 दं०प्र०सं० के अधीन कार्यवाही संचालित की जाती है। जब कभी निकट भविष्य में अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होता है या गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तो उसके विरूद्ध विधिनुसार विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। अभियुक्त के पते से स्थायी गैर जमानतीय वारण्ट बनाकर पुलिस अधीक्षक, जौनपुर व थानाध्यक्ष मड़ियाहूँ, जौनपुर को आदेश की प्रति साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अगले 50 वर्ष तक पत्रावली विनिष्ट न किये जाने का पृष्ठांकन किया जाए।

(रूपाली सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट,
जौनपुर।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 1524